न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आज्ञा–पत्र

उनवान

छीतरलाल .... बनाम .... भूलीबाई

किस्म मुकदमा .... धारा – 223 .... मि.नं. .... 2021/49 .... सन ....

अभिभाषक अपीलान्ट .... वीरेन्द्र गौतम .... अभिभाषक रेस्पोडेन्ट .... सुरेन्द्र कुमार राणा R-1

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
6/12/23	पत्रावली पेश हुई । श्रीमान् पीठासीन अधिकारी ~~सन्य कार्य से बाहर~~/अवकाश पर है । पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 13/12/2023 को पेश हो । राकेश रीडर भू–प्रबध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा (राज.)	R-2 तलबी शेष
13/12/23.	पत्रावली पेश हुई । अभिभाषक अपीलान्ट अनुपस्थित । अभिभाषक रेस्पोडेन्ट उपस्थित । पत्रावली रेस्पो. क्र. – 2 की तलबी हेतु अंतिम अवसर देते हुए अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 24-1-24 को पेश हो । (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	24-1-24.
24-01-24	पत्रावली पेश हुई । अपीलांट व अभिभाषक अपीलांट को रूक–रूक कर तीन बार आवाजे लगवाई गई । फिर भी उनकी ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ । अभि. अपीलांट पूर्व में भी अनुपस्थित रहे हैं । अतः पत्रावली अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो । (दीप्ति रामचन्द्र मीना) भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा	अदम हाजरी अदम पैरवी

(मुहर: भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा — सत्यमेव जयते)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा केम्प बारां

छीतरलाल **बनाम** भूली बाई वगैरह

अपील अन्तर्गत धारा 223 R.T. Act विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 28.08.2019 वाद संख्या 11/2017 बउनवान मुकदमा भूली बाई बनाम राजस्थान सरकार दावा अंतर्गत धारा 88, 89, 90, 92 (ए), 188 आर.टी. एक्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगंज

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी. वास्ते

अपील पेश करने की स्वीकृति चाहने बाबत

धारा-96

महोदय,

प्रार्थी निम्न आधारों पर यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता है :–

01. यह कि रेस्पोडेन्ट क्रम 01 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में झूठी बयानी कर उक्त वाद डिक्री करवाया है जो निरस्तनीय है। रेस्पोडेन्ट क्रम 01 ने गोबरीलाल को अपना पति बताकर उक्त दावा पेश किया था। जबकि गोबरीलाल का विवाह ही नही हुआ, गोबरीलाल अविवाहित फौत हुआ है। गोबरीलाल के माता–पिता का भी देहान्त हो चुका है। अपीलान्ट के अलावा गोबरीलाल के अन्य कोई विधिक वारिस एवं उत्तराधिकारी नही है। अपीलान्ट हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत एकमात्र द्वितीय श्रेणी का वैध वारिस एवं उत्तराधिकारी है।

02. यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री 28.08.2019 से अपीलान्ट के हित एवं अधिकार घातक रूप से प्रभावित हुये है, अपीलान्ट उक्त डिक्री से पीड़ित है एवं डिक्री में परिवर्तन होने से अपीलान्ट के हितों का लाभ होगा, अपीलान्ट पारित डिक्री के वाद में पक्षकार नही था, परन्तु पारित डिक्री से पीड़ित है और अपील योग्य हित रखता है। अपील प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रार्थी/अपीलान्ट को दिया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट/प्रार्थी को अपील पेश करने की स्वीकृति प्रदान किये जाने की कृपा करें।

दिनांक :– 10-3-2021

प्रार्थी

छीतरलाल पुत्र श्री रघुनाथ जाति धाकड़ निवासी ग्राम मिसाई तहसील किशनगंज जिला बारां (राज0)